

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक:—Gen/XV/12(M)/2002/ 5636

दिनांक:—30.08.2018

समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश।

विषय:— न्यायिक अधिकारीगण के आवास पर बेसिक (लैंडलाइन) टेलीफोन/मोबाइल/ब्रॉडबैंड/इन्टरनेट की बण्डल सर्विस (Bundled Services) उपलब्ध कराने के क्रम में।

निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.5(31) साप्र/3/82 दिनांक 14.08.2013 एवं दिनांक 10.10.2014 तथा इनके सन्दर्भ में समय-समय पर जारी आज्ञा/आदेश/संशोधन के अधीन राज्य सरकार के अधिकारीगण को आवास हेतु स्वीकृत बेसिक (लैंडलाइन) टेलीफोन/मोबाइल/ब्रॉडबैंड/इन्टरनेट की बण्डल सर्विस (Bundled Services), सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना प.5(31) साप्र/3/82 दिनांक 10.08.18 द्वारा न्यायिक अधिकारीगण को भी उनके समकक्ष स्वीकृत की गयी है, जिनकी प्रतियाँ संलग्न हैं।

इस सुविधा का उपयोग उपरोक्त अधिसूचनाओं में वर्णित शर्तों के साथ-साथ निम्न निर्देशों के अधीन किया जावेगा :-

1. प्रत्येक न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने पदस्थापन स्थान (Posting Place) के आवास पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के बेसिक (लैंडलाइन) टेलीफोन कनेक्शन को निरन्तर जारी रखा जायेगा।
2. प्रत्येक न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने पदस्थापन स्थान (Posting Place) पर ब्रॉडबैंड/इन्टरनेट कनेक्शन अपनी पसन्द के किसी भी सेवा प्रदाता [service provider] से अनिवार्य रूप से लिया जावेगा।

वर्तमान में सभी न्यायिक अधिकारीगण के आवास पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) से उपलब्ध करवाई ब्रॉडबैंड सुविधा का अग्रिम भुगतान दिनांक 31.08.2018 तक के लिए किया हुआ है। अतः सभी न्यायिक अधिकारीगण दिनांक 01.09.2018 से उपरोक्त स्वीकृति के अन्तर्गत ब्रॉडबैंड/इन्टरनेट कनेक्शन अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे।

3. उपरोक्त स्वीकृत सुविधाओं का पुनर्भरण सम्बन्धित न्यायालय/कार्यालय के कार्यालय व्यय मद से उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसरण में किया जाएगा।

न्यायिक अधिकारियों के आवास पर उपलब्ध टेलीफोन/मोबाइल/ब्रॉडबैंड/इन्टरनेट सुविधा का किसी भी प्रकार का भुगतान इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.09.2018 से नहीं किया जायेगा। न्यायालय/कार्यालय पर उपलब्ध बेसिक लैंडलाइन टेलीफोन/ब्रॉडबैंड सुविधा यथावत जारी रहेगी।

कृपया अपने न्यायक्षेत्र में पदस्थापित सभी न्यायिक अधिकारीगण को इन निर्देशों की प्रतियाँ प्रसारित करें।

संलग्न:— अधिसूचना दिनांक 10.08.2018
14.08.2013, 10.10.2014
(सा0 प्र0 वि0) राज0 सरकार।

भवदीय
30.8.18
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

ADJ S.C.
21-8-18

क्रमांक प.27(17)न्याय/2014

जयपुर, दिनांक 21-8-18

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषय:—राज्य सरकार के अधिकारियों को उपलब्ध टेलिफोन, मोबाईल और ब्रॉडबैंड सुविधा के अनुरूप न्यायिक अधिकारियों को भी उनके पास आवास पर मोबाईल, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड व इन्टरनेट की बण्डल सर्विस (Bundled Services) के संबंध में।


संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक No. Gen./XV/92/2012/2185 दिनांक 09.06.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के अधिकारियों को उपलब्ध टेलिफोन, मोबाईल और ब्रॉडबैंड सुविधा के अनुरूप न्यायिक अधिकारियों को भी उनके पास आवास पर मोबाईल, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड व इन्टरनेट की बण्डल सर्विस (Bundled Services) के संबंध में सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.5 (31) साप्र/3/82 दिनांक 10.08.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।


संलग्न:— उपरोक्तानुसार

भवदीय



21-8-18
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग



क्रमांक-प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक : 10 AUG 2018


-: अधिसूचना :-

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट गार्डिया (सिविल) संख्या 1022/1989 ऑल इण्डिया जजो एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय एवं मंत्रिमण्डलीय आज्ञा संख्या 75/2002 दिनांक 21.08.2002 के क्रियान्वयन में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा व राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को कार्यालय एवं आवास पर निःशुल्क टेलीफोन कॉल्स की सुविधा के संबंध में पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प.5(31) साप्र/3/82 दिनांक 12.09.2005 के स्थान पर न्यायिक अधिकारियों के निवास पर दूरभाष सुविधा राज्य सरकार के अधिकारियों को समान उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.5(31)साप्र/3/82 दिनांक 14.08.2013 के अनुरूप निम्नानुसार टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवाने की स्वीकृति माननीय राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	पदनाम/वर्ग	वर्तमान निःशुल्क कॉल्स सीमा		सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 14.08.13 के अनुसार निवास पर देय राशि
		कार्यालय	निवास	
1	जिला एवं सैरान जज या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एसटीडी सुविधा सहित)	3000 द्विमासिक	2000 द्विमासिक	5250/- रु प्रतिमाह
2	अतिरिक्त जिला एवं सैरान जज या समकक्ष अधिकारी एवं वरिष्ठ सिविल जज एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एसटीडी सुविधा सहित)	2000 द्विमासिक	1000 द्विमासिक	3750/- रु प्रतिमाह
3	वरिष्ठ सिविल जज एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी एवं सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एसटीडी सुविधा सहित)	1500 द्विमासिक	750 द्विमासिक	2625/- रु प्रतिमाह

उक्त अधिसूचना पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.08.2013 एवं उत्सक संदर्भ में समय समय पर जारी आज्ञा/आदेश/संशोधन इत्यादि में उल्लेखित शर्तें लागू रहेंगी।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. सं० 101800784 दिनांक 12.02.2018 एवं मंत्रिमण्डलीय आज्ञा संख्या 115/2018 दिनांक 12.07.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(सुदर्शन सार्दा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005.

Tel. (In. Secy): 0141-2227871/0414086447, (A.S) 0414043664 (DD) 2227926 (Fax) 01412227926

Website: www.gad.rajanathan.gov.in, Email-gadsact11@rediffmail.com

E:\C B Dhakar Old\ChandraBhanDhakar\G K Mishra\3\Circular2013\New.doc

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
5. उप सचिव, (निजी सचिव), मुख्य सचिव।
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. सार्वजनिक विभाग/महान्यायालय (जिला कलक्टर सहित)
9. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
10. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
11. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
12. सोलिसिटर जनरल, विधि एवं अधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान।
14. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
15. अधीक्षक, राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक में अधिसूचना के प्रकाशन के निवेदन के साथ।
16. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
17. निदेशालय, सम्पदा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
20. प्रशासनिक सुधार (संहिताकरण) विभाग, तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
21. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर को मंत्रिमण्डल निर्णय सं. 115/2018 दिनांक 12.07.2018 के क्रियान्वयन के संबंध में।
22. समस्त कोषाधिकारी।
23. रक्षित पत्रावली।

1
(डॉ. पी.डी. पारीक)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग

कमांक-प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक 4 AUG 2013

--:आज्ञा:--

विषय:- राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक + मोबाइल + इन्टरनेट + ब्राडबैंड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।

राजकीय अधिकारीगण के निवास पर राजकीय टेलीफोन/मोबाइल सुविधा/ इन्टरनेट/ ब्राडबैंड उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23.07.2013 के अधिक्रमण में राजकीय अधिकारीगण को निवास पर टेलीफोन सुविधा (बेसिक+मोबाइल+ इन्टरनेट+ब्राडबैंड) संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार निर्धारित सीमा तक व्यय करने एवं वास्तविक व्यय का भुगतान/पुर्नभरण प्राप्त करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. प्रस्तावित मासिक वित्तीय सीमा में स्थानीय कॉल्स/एस.टी.डी./मोबाइल फोन काल्स/इन्टरनेट/ब्राडबैंड सुविधायें सम्मिलित होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को स्वयं के नाम से मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन ही लेना होगा।
2. अधिकारी स्वीकृत वित्तीय सीमा तक एक मोबाइल फोन एवं एक लैण्ड लाईन तथा टेलीफोनिक इन्टरनेट सुविधा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से किसी भी टेरिफ प्लॉन के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे। इन्टरनेट/ब्राड-बैंड, लैण्ड लाईन के साथ अथवा ब्राड-बैंड कार्ड के माध्यम से भी ली जा सकती है। सिर्फ ब्राड बैंड/इन्टरनेट के लिए भी पृथक टेलीफोन लिया जा सकता है। अधिकारीगण को मोबाइल फोन/ब्राडबैंड/इन्टरनेट कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा अन्यथा मोबाइल फोन नहीं लेने पर रु 750/- प्रतिमाह व ब्राड बैंड नहीं लेने पर रु 750/- प्रतिमाह अनुज्ञेय सीमा में से स्वतः कम होकर शेष राशि ही देय होगी। यानि कोई अधिकारी यदि ब्राड बैंड इन्टरनेट/मोबाइल का उपयोग नहीं करता है तो इसके पेटे रु 1500/- प्रतिमाह वित्तीय सीमा में से स्वतः कम हो जायेंगे।
3. एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर ऐसे अधिक व्यय को पूर्व महिनों के कम व्यय से बची राशि से समायोजन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय हो तो उसका भुगतान इस शर्त के साथ कर दिया जायेगा कि अधिक व्यय की राशि का प्रथमतः समायोजन आगामी माहों में होने वाली बचत से किया जायेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक इन सुविधाओं के बिल भुगतान किये जायेंगे। निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर अधिक राशि संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
5. अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टेलीफोनिक सर्विस के बिल का भुगतान करने के उपरान्त निर्धारित वित्तीय सीमा तक की राशि का पुर्नभरण मूल बिल एवं भुगतान की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार से प्राप्त किया जा सकेगा।
6. सभी अधिकारी बिल का सत्यापन स्वयं करेंगे। बिल के प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणित लिखा जाना पर्याप्त होगा। निजी सचिव/निजी सहायक द्वारा सत्यापित बिल मान्य नहीं होगा।
7. राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल हैण्ड सेट/टेलीफोन यंत्र/मोडम उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा तथा न ही इनके क्रय पर किये व्यय का पुर्नभरण होगा।

(लगातार- 2 -)

8. प्रत्येक अधिकारी हेतु श्रेणीवार जो मासिक वित्तीय सीमा अनुज्ञेय है इस वित्तीय सीमा में सरचार्ज राशि सम्मिलित है टेलीफोन/मोबाइल बिलों का भुगतान हमेशा यथासमय हो इसे सुनिश्चित कर लिया जाये। लेकिन अधिकारी के द्वारा विलम्ब करने से कनेक्शन का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है जो रिकनेक्शन चार्ज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा देय नहीं होगा।
9. राज्य सेवा में पति/पत्नी के होने की स्थिति में दोनों उक्त सुविधा का पृथक पृथक उपयोग कर सकेंगे।
10. जिन अधिकारियों के निवास पर स्वयं/स्पाउस के नाम से टेलीफोन स्थापित हैं, उन्हें सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त करने पर भुगतान/पुनर्भरण देय होगा।
11. अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने पर बकाया अनुज्ञेय सीमा राशि समाप्त मानी जायेगी। यह सुविधा उन्हीं अधिकृत अधिकारियों को देय होगी जिनके लिये स्वीकृति सक्षम स्तर पर पूर्व में प्राप्त है।
12. राजकीय अधिकारियों को एक माह से छः माह अवकाश पर रहने की स्थिति में बेसिक टेलीफोन का केवल रेन्ट/मोबाइल व इन्टरनेट (ब्रॉडबैंड) का प्लान चार्ज का भुगतान देय होगा तथा छः माह पश्चात बेसिक टेलीफोन/मोबाइल व इन्टरनेट (ब्रॉडबैंड) के बिल की राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निजी तौर पर वहन किया जायेगा।
13. कोई अधिकारी अगर पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रहता है अथवा निलम्बित रहता है तो उसे कोई टेलीफोन की सुविधा देय नहीं होगी।
14. उक्त आदेश में वर्णित वर्गीकृत श्रेणी अनुसार वित्तीय सीमा मोबाइल ब्राडबैंड/इन्टरनेट के लिये तभी अनुज्ञेय होगी जबकि उस पद हेतु बेसिक टेलीफोन स्वीकृत है।
15. किसी भी निजी टेलीफोन का सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना सीधे भुगतान नहीं होगा आहरण व वितरण अधिकारी ऐसे टेलीफोन बिल भुगतान करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेंगे।
16. मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण एवं सुपरटार्म स्केल के सचिवगण को आईपैड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की तिथि से आईपैड में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु एक अतिरिक्त पोस्टपेड सिम का उपयोग निर्धारित मासिक सीमा के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा।
17. अधिकारियों को तय वित्तीय सीमा के अंतर्गत रोमिंग (नेशनल), एसटीडी प्लान, वैल्यू एडेड सर्विसेज, एसएमएस, लेट फीस, आदि सभी चार्ज अनुज्ञेय होंगे।

उक्त वृद्धि/संशोधन दिनांक 01.05.2013 से लागू होगी।

यह आज्ञा पूर्व में प्रसारित इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23.07.13 के अधिक्रमण में वित्त विभाग की आई.डी.सं० 101301929 दिनांक 07.05.13, आईडी सं. 131300349 दिनांक 17.07.13 एवं आईडी सं. 161301146 दिनांक 30.07.13 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रमुख शासन सचिव

(लगातार--3-)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव/अति. निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
6. उप सचिव, (निजी सचिव), मुख्य सचिव।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
10. अध्यक्ष, राज. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
11. समस्त शासन उप सचिवगण/समकक्ष अधिकारीगण
12. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाइल+इण्टरनेट+ब्राडबैंड/आईपैड/डाटा कार्ड) के बिल भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि बिल की राशि सम्बन्धित अधिकारी को देय मासिक/वार्षिक अनुज्ञेय सीमा में ही है। बिन्दू संख्या 5 के अनुक्रम में सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त टेलीफोन/मोबाइल बिलों का भुगतान/पुर्नभरण बिल प्रस्तुत करने पर सीधे ही लेखाशाखा द्वारा किया जावेगा।
13. समस्त कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि बिल पारित करने के पूर्व शर्त नं. 1 व 2 की पालना सुनिश्चित कर ली जाये।
14. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
7. सचिव कर बोर्ड, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव

(पृष्ठ- 4 -)

परिशिष्ट-1

प. 5(31)साप्र/3/82

दिनांक :- 14 AUG 2013

Lump-sum financial entitlement for bundled services (Mobile, Landline, broadband /Internet at residence)		
S. No.	Officers	Entitlement in Rupees (₹) for each month
1.	<ul style="list-style-type: none">⇒ Chief Secretary⇒ Director General of Police⇒ Addl. Director General Police (Intelligence)⇒ OSD to CM	Unlimited
2.	<ul style="list-style-type: none">⇒ All Addl. Chief Secretaries⇒ Additional Chief Secretary/Principal Secretary Finance⇒ Additional Chief Secretary/Principal Secretary Home & GAD⇒ Chairman, Board of Revenue, Ajmer⇒ Chairman, RPSC, Ajmer⇒ DG, Anti corruption Bureau⇒ Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Governor⇒ Principal R.C. New Delhi⇒ Principal Secretary/Secretary to CM⇒ Addl. Director General ATS⇒ Press Advisor to CM	9750/-
3.	<ul style="list-style-type: none">⇒ RC & ARC New Delhi⇒ Addl. Director General CID (CB)⇒ Spl. Secretary to CM⇒ Dy. Secretaries to CM⇒ Press Attache to CM⇒ Deputy Chief of Protocol, GAD	6750/-
4.	<ul style="list-style-type: none">⇒ Chairman, Raj. State Backward Classes Commission⇒ D.G. Jail⇒ D.G. Civil Defence and Home guard⇒ Principal Secretary/Secretary DOP⇒ Commissioner Excise⇒ Commissioner, Commercial Taxes⇒ Addl. D.G. Police (Admn.)⇒ Addl. D.G. Police, Crime⇒ Addl. Director General Anti Corruption Bureau⇒ IG., CID Intelligence⇒ Inspector General (Law & Order)⇒ All Divisional Commissioners⇒ Member, Raj. State Backward Classes Commission⇒ All Member, Board of Revenue, Ajmer⇒ Member, RPSC, Ajmer⇒ Principal Chief Conservator of Forests⇒ All District Collectors⇒ All IG's Range Police	5250/-

(पृष्ठ-- 5 -)

परिशिष्ट-1

प. 5(31)साप्र/3/82

दिनांक :- 14 AUG 2013

	<ul style="list-style-type: none">⇒ All DIG's Police Range⇒ IG, ATS⇒ All District Police Superintendents⇒ All other Addl. DG other than included category 1&2⇒ I.G.P. (Law & Order)⇒ I.G.P. CID (Inta.)⇒ Dy. Director to CM	
5.	<ul style="list-style-type: none">⇒ Advocate General Rajasthan High Court⇒ Chairman, Rajasthan State Civil Services, Appellate Tribunal, Jaipur⇒ Chairman, Tax Board, Ajmer⇒ All Principal Secretaries/Secretaries (other than included in category 2&4)⇒ Commissioner Transport⇒ Commissioner, BIP⇒ Commissioner, State Insurance & PF⇒ Commissioner, Industries⇒ Commissioner, College Education⇒ Commissioner, Primary Education⇒ Commissioner, land Settlement⇒ Commissioner, Labour⇒ Commissioner, Social Justice & Empowerment⇒ Commissioner, Agriculture⇒ Commissioner, Mid-Day Meal⇒ Commissioner, TAD⇒ Commissioner, Devasthan⇒ Commissioner, Employment Guarantee Scheme⇒ Member, Rajasthan State Civil Services, Appellate Tribunal, Jaipur⇒ Member Tax Board, Ajmer⇒ Addl. Principal Chief Conservator of Forest⇒ Registrar, Cooperative Department	5250/- PM
6.	<ul style="list-style-type: none">⇒ Chief Conservator of Forest⇒ I.G. (Regi. & Stamp) Ajmer⇒ All IGP other than included in Serial No. 4⇒ I.G. Anti Corruption Bureau⇒ DIG, ATS, Jaipur⇒ Police Superintendent, S.O.G⇒ All Special Secretaries⇒ Commissioners/Director, DIPR⇒ Commissioner Command Area Development, Bikaner⇒ Member Secretary, Raj. State Economic Backward Classes commission⇒ Member Secretary State backward Classes⇒ Registrar, Board of Revenue, Ajmer⇒ All Joint Secretary, in Government Secretariat.	3750/- PM

(पृष्ठ--6-)

परिशिष्ट-1

प. 5(31)साप्र/3/82

दिनांक :- 14 AUG 2013

	<ul style="list-style-type: none">⇒ Joint Secretary/Dy. Secretary (A) GAD⇒ Controller, State Motor Garage, Jaipur⇒ All HOD's [Other than mentioned above]	
7.	<ul style="list-style-type: none">⇒ Conservator of Forest⇒ All DIG other than all range Dy. IGP⇒ DIG (ACB)⇒ All S.P. [Other than Distt. S.P.]⇒ Special/Addl./Asstt. IG's⇒ All Dy. Secretaries to Govt.⇒ All Addl. Collectors.⇒ Private Secretary to CM & Chief Secretary⇒ Special Assistant to all Ministers/State Ministers/ Parliament Secretaries⇒ Private Secretary to all Ministers/State Ministers/ Parliament Secretaries (where the post of Special Asstt. does not exist)⇒ OSD, Parliamentary Affairs Department.⇒ Protocol Officer, GAD⇒ Chief Pilot, Air Craft/Helicopter⇒ Asstt. Secy. Cabinet⇒ Asstt. Secy, Security, Secretariat⇒ Registrar Secretariat⇒ Programmer, CM office⇒ PRO, Mumbai⇒ S.O. Cabinet⇒ ASP/Dy. SP (Intelligence Cell) Excise, Director, EC.. Cell, Zonal Parties of Addl. SP, Police Station Check Post , Flying Squads⇒ All other officers (other than Judicial Officers/Judges, and mentioned at category 1 to 6 above) who have been sanctioned Telephone facility at residence.	2625/-PM

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक: 10.10.14

—:आज्ञा:—


विषय :- राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाईल+इन्टरनेट + ब्रॉडबैंड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।

राजकीय अधिकारीगण के निवास पर बेसिक टेलीफोन/मोबाईल/इन्टरनेट(ब्रॉडबैंड) उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.08.2013 में निर्धारित शर्तों में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्धन किया जाता है। इस आदेश के प्रसारित होने के पश्चात शर्त सं. 1 से 15 यथावत रहेंगी, तत्पश्चात शर्तें निम्नानुसार पढी जायेंगी:-

16. सभी अधिकारीगण जिन्हें आवास पर राजकीय टेलीफोन की सुविधा स्वीकृत है, राजकीय एवं निजी लैपटॉप /टैबलेट/आईपैड पर अपनी वित्तीय मासिक सीमांतर्गत इन्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक अतिरिक्त सिम का उपयोग कर सकेंगे।
17. अधिकारीगण को केवल पोस्टपेड सिम/डाटा कार्ड पर ही यह सुविधा देय होगी। इस सिम पर वॉइस कॉल (Voice Call) की फैंसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। किसी भी प्रकार से की गई वॉइस कॉल (Voice Call)का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा।
18. संबंधित अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उनके पास स्थित राजकीय व निजी लैपटॉप /टैबलेट/आईपैड पर ही इस सुविधा का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। इस सुविधा के दुरुपयोग के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
19. अतिरिक्त सिम/डाटा कार्ड की उक्त सुविधा वर्तमान में अधिकारियों को निवास के लिए स्वीकृत टेलीफोन हेतु निर्धारित एकमुश्त मासिक वित्तीय सीमा के अंतर्गत ही देय होगी।
20. अधिकारियों को तय वित्तीय सीमा के अंतर्गत रोमिंग (नेशनल), एसटीडी प्लान, वेल्थू ऐडेड सर्विसेज, एसएमएस, लेट फीस आदि सभी चार्जेज अनुज्ञेय होंगे।


यह आज्ञा वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. सं० 101403723 दिनांक 26.09.14 के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ शासन उप सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव/अति. निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
6. वरिष्ठ उप सचिव, (निजी सचिव), मुख्य सचिव।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
10. समस्त शासन उप सचिवगण/समकक्ष अधिकारीगण
11. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. रक्षित पत्रावली।


(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005,

Tel. No. (Jt. Secy)-0141-2227874/9414085447, (AS)9414043554 (SO)-2227776 (Fax)-5116626, 2227928

Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-gadsec111@rediffmail.com